



प्रगति के पथ पर अग्रसर हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला-2 (हि0 प्र0)

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन 2 मार्च, 2009 को किया गया है। इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य क्या है ?

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, भवनों, मार्गों, सड़कों, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण (Transmission) एवं वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों, टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों मुरम्मत या रख-रखाव या इनके निर्माण या गिराया जाने से सम्बन्धित कार्य में सम्मिलित हैं। पंचायतों के द्वारा सभी ऐसे कार्य जैसे मनरेगा/सरकार के अन्तर्गत किए जा रहे भवन एवं सन्निर्माण कार्य भी शामिल है। परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे, जिनमें कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा माईन्ज अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं।

2. पंजीकरण कैसे करवाएं ?

- 1) पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त कार्यों पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की अवधि मान्य होगी।
- 2) उपरोक्त परिभाषित 90 व उससे अधिक दिनों की मजदूरी पर्ची या नियुक्ति पत्र पंजीकरण के इलावा, प्रत्येक वर्ष लाभार्थी की सदस्यता को जीवित रखने के लिए आवश्यक है।
- 3) पंजीकरण के लिए कामगार को समबन्धित श्रम अधिकारी के कार्यालय में दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी जैसे : स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, झाइविंग लाइसेंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति।
- 4) कामगार को आवेदन के साथ नियोजक (Employer) या ठेकेदार से मजदूरी पर्ची या नियुक्ति पत्र जिस में स्पष्ट हो कि वह निर्माण कामगार है तथा कार्य स्थल व कार्य का पूर्ण ब्यौरा दिया हो, प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक द्वारा आवश्यक सत्यापन की शर्त पर पंजीकृत निर्माण कामगार युनियन द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र पर भी विचार किया जा सकता है।
- 5) पंजीकरण शुल्क मात्र 1/- रुपया एक ही बार देय है। बोर्ड का सदस्य लगातार बने रहने के लिए एवं योजनाओं का लाभ उठाने हेतु कामगार (लाभार्थी) को 9/- रुपए की दर से अग्रिम में अंशदान जमा करवाना होगा जो पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। अगले तीन वर्षों के लिए नवीनीकरण शुल्क 15 रुपए देय होगा व प्रत्येक वर्ष 90 दिनों की मजदूरी पर्ची श्रम कार्यालय में जमा करवाना, सदस्यता को जीवित रखने के लिये आवश्यक है।

बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों/कामगारों (जिन्होंने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य किया हो) को बोर्ड द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण।

क्र.	योजना का नाम	पात्रता	देय राशि			
			क्र.	पाठ्यक्रम	राशि (रुपये)	
1.	शादी हेतु वित्तीय सहायता	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के स्वयं के विवाह हेतु मु० 35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये तथा विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह हेतु मु० 35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये प्रत्येक बच्चा।			
2.	मातृत्व/पितृत्व प्रसूषिधा	दो माह की सदस्यता	1. पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर मुबलित 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये। 2. पंजीकृत महिला को दो प्रसवों तक समय-समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक के लिए मातृत्व अवकाश। 3. पंजीकृत कर्मकार की पत्नी को दो प्रसवों तक छः हजार रुपये प्रति प्रसव।			
3.	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत सदस्यों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष निम्न दर से सहायता:			
4.	चिकित्सा सहायता	सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल/सरकार द्वारा अनुमोदित/घयनित अस्पतालों/औषधालयों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्य (Outdoor) चिकित्सा उपचार के लिए मु० 50,000/- रु. (पचास हजार) और अंतरंग (Indoor) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए मु० 1,00,000/- रु. (एक लाख)। इसके अतिरिक्त, गंभीर बीमारी के लिए प्रति वर्ष मु० 5,00,000/- (पांच लाख रुपए)।			
5.	पेंशन सुविधा	बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व तीन वर्षों में लगातार लाभार्थी रहा हो।	पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन का हकदार होगा, न्यूनतम राशी 1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह।			
6.	अन्तिम संस्कार हेतु सहायता	सदस्यता	नाम निर्देशितों/आश्रितों को मु० 20,000/- (बीस हजार) रुपये की राशि देय होगी।			
7.	मृत्यु सहायता	सदस्यता	यदि पंजीकृत सदस्य की मृत्यु दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशितों/आश्रितों को मु० 4,00,000/- (चार लाख) रुपये एवं प्राकृतिक मृत्यु पर मु० 2,00,000/- (दो लाख) रुपये।			
8.	कंबल, हॉटकेस टीफिन, स्टील का डिनरसेट तथा ऑफ लाईन वाटर फिल्टर	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी को बोर्ड द्वारा कंबल, हॉटकेस टीफिन, स्टील का डिनरसेट तथा ऑफ लाईन वाटर फिल्टर।			
9.	इन्डक्शन हीटर	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी को बोर्ड द्वारा एक इन्डक्शन हीटर या एक सोलर कुकर।			
10.	सोलर लैम्प	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी को बोर्ड द्वारा एक सोलर लैम्प।			

उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के अलावा बोर्ड विकलांगता पेंशन और श्रमिक ट्रांजिट छात्रावास सुविधा इत्यादि प्रदान कर रहा है।

उपरोक्त योजनाओं का लाभ पाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक हमीरपुर को आवेदन करना होगा (वस्तुओं का लाभ एक परिवार को केवल एक बार ही मिलेगा)

अधिक जानकारी हेतु संबंधित श्रम अधिकारी या बोर्ड के निम्न दूरभाष संख्या:-0177-2629807, 2620256, 2620210 और 2625084 से सम्पर्क कर सकते हैं।

समस्त श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक हमीरपुर पंजीकरण हेतु प्राधिकृत हैं।

प्ररूप-27

(नियम-266 (4) देखें)
पंजीकरण हेतु आवेदन

- (1) नाम _____
- (2) पता _____
- (3) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है _____
- (4) पिता का नाम _____
- (5) वैवाहिक स्थिति _____
- (6) जन्म तिथि _____
- (7) उस स्थापन का नाम, पता और रजिस्टर संख्या जहां आवेदनकर्ता काम करता है _____
- (8) नौकरी/रोजगार का स्वरूप _____
- (9) ई0एस0आई0/भविष्य निधि संख्या.....
- (10) नियोजन का नाम और पता _____
- (11) कुल सेवा संख्या.....
- (12) अंशदान-दर _____
- (13) बैंक और शाखा का नाम जहां अंशदान का भुगतान किया जाता है _____
- (14) यदि आवेदक किसी अन्य कल्याण बोर्ड का पहले से सदस्य हो तो उस बोर्ड का नाम और आवेदनकर्ता की पंजीकरण संख्या.....

ऊपर वर्णित तथ्य मेरे समुचित ज्ञान और जानकारी के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर।

स्थान _____

तिथि _____

नियोजक का नाम और हस्ताक्षर।

प्ररूप-28

(नियम-266 (7) देखें)

नामांकन प्ररूप

मैं अधिकार प्राप्त आश्रितों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को मेरी ओर से निधि से देय समस्त राशि प्राप्त करने और मेरी मृत्यु होने की स्थिति में मेरे सभी लाभों की राशि प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ।

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति / व्यक्तियों के नाम तथा पता	सदस्य के साथ सम्बन्ध	नामनिर्दिष्ट की आयु	प्रत्येक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली राशि
1	2	3	4

स्थान :

कर्मकार का नाम, पता और पंजीकरण संख्या

तारीख :

Certificate of Employment

Certified that Sh.....s/o,w/o,d/o, Sh.....

r/o, House,No./vill/town.....Post Office.....Tehsil

..... Police Station..... Distt..... State.....

is working/has worked under my control at my work site i. e.

in the Establishment offor a period of 90

days w.e.f to during the preceding 12

Month as..... (Category/Rank of worker).

Date-

signature

Name & Address of contractor/ Employer